

उत्तराखण्ड शासन

आवास अनुभाग-2

संख्या: —/V-2/2017-60(आ०)/2015

देहरादून २५ नवम्बर, 2017

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या—1814/V-2/2017-05(आ०)/2017, दिनांक 13.11.2017 द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण नैनीताल का गठन किया गया है। कार्यालय ज्ञाप संख्या—2168/V/आ०-2005-236(आ०)/2005, दिनांक 22.11.2005 को अधिकमित करते हुए उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 (समय—समय पर यथा संशोधित) की धारा—04 की उपधारा—7 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण नैनीताल का निम्नानुसार पुर्णगठन करते हैं—

क— अध्यक्ष

आयुक्त कुमायूँ मण्डल, नैनीताल

ख—उपाध्यक्ष

उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास

प्राधिकरण, नैनीताल

ग— सचिव आवास विभाग अथवा उनके

द्वारा नामित कोई व्यक्ति

सदस्य (पदेन)

घ— सचिव वित्त विभाग अथवा उनके

द्वारा नामित कोई व्यक्ति

सदस्य (पदेन)

ङ— मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक अथवा

उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति

सदस्य (पदेन)

च— प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड पेयजल निगम

अथवा उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति

सदस्य (पदेन)

छ— मुख्य नगर अधिकारी अथवा

उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति

सदस्य (पदेन)

ज— जिलाधिकारी अथवा

उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति

सदस्य (पदेन)

झ— महानगरपालिका के सभासदों में

से निर्वाचित चार सदस्य,

सदस्य (निर्वाचित)

अ— तीन सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामित,

सदस्य

(अमित सिंह नेगी)

सचिव।

संख्या — /V-2/60(आ)15/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि : सयुंक्त निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, रुडकी, हरिद्वार को उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट की 100 प्रतियाँ मुद्रित करते हुए प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)

सयुंक्त सचिव।

संख्या १९४८(२) /V-2/60(आ)15/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 2— सचिव, नियोजन, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3— मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमार्यौ।
- 4— मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 5— समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6— जिलाधिकारी, नैनीताल।
- 7— अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), नैनीताल।
- 8— उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून।
- 9— मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- 10— सचिव, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/गंगोत्री।
- 11— गार्ड पत्रावली/एनोआई०सी०।

आज्ञा से,

(Prem Singh Ranjan)

अनु सचिव।